

06/06/25

आदेश

क्रा. सं. 52/25

(भी. न. सु. सं. 163)

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण
पृच्छा का अध्ययन करने, उभय
पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व संबंधी
साक्ष्यों का अवलोकन करने
रखा उभय पक्ष के विज अचिवक्ताओं
के दलीलों को सुनने के उपरान्त
में इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ
कि उभय पक्ष अलग-अलग
स्वत्व (Title) संबंधी कागजातों
के आधार पर उक्त भूमि पर
अपना-अपना दावा करते
हैं। विवाद का यही मुख्य
कारण है।

स्वत्व (Title) का
विवेचन अप्रोहन्ता रही

जाय

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर <u>52/25</u>	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उभय पक्ष को उक्त विवाद के हस्ताक्षरी निपटारे हेतु सशम न्यायालय में युक्तियुक्त (appropiate) वाद दायर करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त घोषित की जाती है। लेखापति एवं संशोधित  06/6/25 SDM Bagodar -Savings.  06/6/25 SDM. Bagodar being.	